छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर
//अधिसूचना//

नया रायपुर दिनांक सितम्बर, 2018

क्रमांक एफ 20–100/2015/11/(6) चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित से ऐसा करना आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 09.06.2016, द्वारा जारी " छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016 ' में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :–

संशोधन

(एक) "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016" में उप कंडिका क्रमांक 5.1 बीमार उद्योग तथा 5.2 बंद उद्योग की परिभाषा को संशोधित परिभाषाओं से निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

5.1 बीमार उद्योग

(1) *कोई सूक्ष्म, लघु उद्योग इकाई (एमएसएमई अधिनियम 2006 के अनुसार) "बीमार" तभी समझी जावेगी यदि इकाई के अंकेक्षित लेखों के आधार पर इकाई का सबसे अधिक ऋण वाला उधारी लेखा 12 माह से अधिक की अवधि के लिए सब–स्टेण्डर्ड (Sub Standard) बना रहे।*

या

इकाई के नेटवर्थ में कमी हुई हो तथा गत लेखा वर्ष में संचित नगद हानि के कारण नेटवर्थ के 50 प्रतिशत की सीमा तक कमी हो तथा इकाई, कम से कम, दो वर्ष तक वाणिज्यिक उत्पादनरत रही हो

(2) *सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में एक बीमार उद्योग वह कहलायेगा जो कंपनी अधिनियम 2013 अथवा पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 1956 में 5 वर्ष से अनाधिक अवधि के लिये पंजीकृत हो तथा किसी वित्तीय वर्ष के अंत में उसकी संचित हानि उसकी नेटवर्थ के बराबर अथवा अधिक हो गई हो। इस श्रेणी में वे उद्योग आयेंगे जिनमें प्लांट एण्ड मशीनरी में अधिकतम निवेश रू. 25.00 करोड़ या उससे कम हो।*

स्पष्टीकरण– बीआईएफआर के समस्त प्रकरण जिनमें पुनर्वास योजना स्वीकृत की जा चुकी हो, शासकीय समापक के माध्यम से उद्योगों का क्रय, सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन आफ फायनेंसियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत् किसी बैकों के कॉन्सॉर्टियम/वित्तीय संस्था/ बैंक/ वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा अधिकृत एजेन्सी से बीमार उद्योग क्रय करने वाले प्रकरण, राज्य शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा अधिग्रहण उपरांत उद्योगों का क्रय करने वाले प्रकरणों में से बीमार उद्योग की पहचान इस नीति में वर्णित परिभाषा के अनुसार जिला/राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति द्वारा की जायेगी।

टीप :– बीमार या बंद उद्योग की परिभाषा में इकाई के एकाधिक उत्पादों में से कोई एक उत्पाद परिभाषा के अंतर्गत अमान्य होने की स्थिति में उद्योग को अंशतः बीमार उद्योग स्वीकृत न कर संपूर्ण प्रकरण अमान्य किया जायेगा।

5.2 बंद उद्योग

बंद उद्योग से आशय है औद्योगिक इकाई के उद्योग के बंद होने के पूर्व न्यूनतम दो वर्ष तक वाणिज्यिक रूप से उत्पादनरत् रही हो तथा इकाई विगत न्यूनतम लगातार 18 माह से बंद रही हो। बंद होने के कारण विद्युत विच्छेदन हुआ हो या जीएसटी का इस अवधि में भरा गया निर्धारण प्रपत्र निरंक हो, या राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति जिस कारण को मान्य करें ।

परन्तु राज्य शासन को जीएसटी लागू होने पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरंक निर्धारण की शर्त को पृथक से अधिसूचित किए जाने का अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण– बीआईएफआर के समस्त प्रकरण जिनमें पुनर्वास योजना स्वीकृत की जा चुकी हो, शासकीय समापक के माध्यम से उद्योगों का क्रय, सिक्युरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन आफ फायनेंसियल असेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के तहत् किसी बैकों के कॉन्सॉर्टियम/वित्तीय संस्था/ बैंक/ वित्तीय संस्थाओं/बैंक द्वारा अधिकृत एजेन्सी से बंद उद्योग क्रय करने वाले प्रकरण, राज्य शासन के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा अधिग्रहण उपरांत उद्योगों का क्रय करने वाले प्रकरणों में से बंद उद्योग की पहचान इस नीति में वर्णित परिभाषा के अनुसार जिला/राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति द्वारा की जायेगी।

टीप :– बीमार या बंद उद्योग की परिभाषा में इकाई के एकाधिक उत्पादों में से कोई एक उत्पाद परिभाषा के अंतर्गत अमान्य होने की स्थिति में उद्योग को अंशतः बंद उद्योग स्वीकृत न कर संपूर्ण प्रकरण अमान्य किया जायेगा।

(दो) "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016" के बिन्दु क्र. 5.9 में उद्धृत अप्रेजल एजेन्सी की परिभाषा के स्थान पर निम्नानुसार परिभाषा प्रतिस्थापित की जाती है :–

अप्रैजल एजेंसी से आशय पुनर्जीवन हेतु वित्त पोषण करने वाले बैकों के कॉन्सॉर्टियम/बैंक की अप्रेजल एजेन्सी से है।

(तीन:) "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016" की कंडिका 5– परिभाषायें में निम्नानुसार नई उप कंडिका 5.12 जोड़ी जाती है :–

5.12 *पुनर्जीवन से तात्पर्य है कि संबंधित बंद/बीमार उद्योग में लाभ के साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होकर निरंतर रहे, उद्योग की नेटवर्थ धनात्मक हो जाये तथा उत्पादन की स्थिति संबंधित बंद/बीमार उद्योग को प्राप्त होने वाले अनुदान नियमों में वर्णित अवधि तक जारी रहे। प्रथमतः इसके लिए संबंधित बंद/बीमार उद्योग में निम्नांकित अवधि में उत्पादन प्रारंभ होना आवश्यक होगा :–*

1) *सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में जिला/राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत पंजीयन की दिनांक से अधिकतम 6 माह।*
2) *सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योगों से भिन्न उद्योगों के प्रकरणों में राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत पंजीयन की दिनांक से अधिकतम 18 माह।*

(चार) "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति 2016" की कंडिका 9– पात्र आवेदनकर्ता के वर्तमान प्रावधान को बनाये रखते हुए निम्नानुसार टीप जोड़ी जाती है :–

टीप :–चूंकि बंद व बीमार उद्योग नीति में उद्योग दिनांक 24 जून 2016 को राजपत्र में प्रकाशित हुई है तथा उसमें यह उल्लेख हैं कि यह नीति इसके राजपत्र के प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी। अतः उक्त तिथि के उपरांत क्रय हेतु किए गये प्रथम लेन–देन के प्रकरण ही मान्य होगें।

(पांच) "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष **प्रोत्साहन नीति 2016**" की कंडिका 12 बीमार/बंद उद्योगों के लिए पैकेज उपकंडिका **12.1 बीमार उद्योगों के पुनर्वास हेतु पैकेज** की उप कंडिका (1) (i) तथा (ii) के स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(i) *जिला/राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृत तथा किसी बैंक से पुनर्वास/पुनर्जीवन हेतु वित्त पोषित प्रकरणों में निम्नानुसार छूट, अधिकतम सीमा प्रति उद्योग रू. 50. 00 लाख, दी जायेगी :–*

(I) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट हेतु छूट प्रमाण पत्र,

(II) पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट हेतु छूट प्रमाण पत्र

(ii) *उपरोक्त (i) से भिन्न एवं स्व–वित्त पोषित उद्योग के प्रकरण में जिनका इस नीति के अंतर्गत उल्लेखित अप्रेजल एजेंसी से अप्रेजल हुआ हो, के प्रकरणों में पुनः वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो जाने पर उद्योग के अधिग्रहण में वाणिज्यिक कर पंजीयन विभाग को दिये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन शुल्क की शत–प्रतिशत की प्रतिपूर्ति जो कि अधिकतम रू. 50.00 लाख प्रति उद्योग होगी, उद्योग संचालनालय द्वारा की जायेगी।*

(छै:) "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष **प्रोत्साहन नीति 2016**" की कंडिका 12 बीमार/ बंद उद्योगों के लिए पैकेज उपकंडिका 12.2 बंद उद्योगों के पुनः संचालन हेतु पैकेज के बिन्दु (1), (i) तथा (ii) के स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(i) *जिला/राज्य स्तरीय समिति से स्वीकृत तथा किसी बैंक से पुनर्वास/पुनर्जीवन हेतु वित्त पोषित प्रकरणों में निम्नानुसार छूट, अधिकतम सीमा प्रति उद्योग रू. 50. 00 लाख, दी जायेगी :–*

(I) स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट हेतु छूट प्रमाण पत्र,

(II) पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट हेतु छूट प्रमाण पत्र

(ii) *उपरोक्त से भिन्न एवं स्व–वित्त पोषित उद्योग के प्रकरण में जिनका इस नीति के अंतर्गत उल्लेखित अप्रेजल एजेंसी से अप्रेजल हुआ हो, के प्रकरणों में पुनः वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो जाने पर उद्योग के अधिग्रहण में वाणिज्यकर पंजीयन विभाग को दिये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीयन शुल्क की शत–प्रतिशत की प्रतिपूर्ति जो कि अधिकतम रू. 50.00 लाख प्रति उद्योग होगी, उद्योग संचालनालय द्वारा की जायेगी।*

(सात) "छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगो हेतु प्रोत्साहन नीति 2016" की कंडिका 17 में निम्नानुसार टीप जोड़ी जाती है :–

टीप :– छत्तीसगढ़ बंद एवं बीमार उद्योगों हेतु विशेष **प्रोत्साहन नीति 2016** का स्थगन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की विभागीय अधिसूचना दिनांक 25/05/2017 से किया गया है, मूल नीति में संशोधन की अधिसूचना दिनांक से नीति पुनः प्रभावशील होगी। स्थगन अवधि में प्राप्त/लंबित प्रकरणों का निराकरण संशोधन अधिसूचना के अनुसार किया जायेगा।

यह अधिसूचना जारी होने की दिनांक से प्रभावशील होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठा. क्र. एफ 20–100/2015/11/(6) रायपुर दिनांक 27 सितम्बर, 2018

प्रतिलिपि :–

1. संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0 नया रायपुर
2. प्रबंध संचालक, सी.एस.आई.डी.सी. उद्योग भवन, रायपुर
3. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगांव की ओर अग्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र के आगामी अंक में मुद्रित करवाकर 250 प्रतियां इस विभाग को कृपया उपलब्ध करायें।
4. मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग